

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठारी अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिशल संख्या:- 1365 निर्णय दिनांक :- (2/12/2021)

उनवानी प्रार्थना पत्र :

उपस्थिति :-
.....उपस्थित..... वनाम तहसीलदार.....डूनी.....
.....उपस्थित..... तहसीलदार.....डूनी.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी.....रुणजीत..... निवासी.....वांदसिंहपुर..... प्रशासन गांवो के संघ 2021 कैम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.....वांदसिंहपुर..... जमाबंदी सम्बन्ध.....2077..... के खाता संख्या.....55..... में दर्ज प्रार्थी का नाम.....रुणजीत..... के स्थान पर.....रुणजीत..... दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार.....डूनी..... से कराई गई। तहसीलदार.....डूनी..... ने पत्वार हल्का.....वांदसिंहपुर..... मू0अ0नि0.....डूनी..... की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआग में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार.....डूनी..... से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अगिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार.....डूनी..... को वाके ग्राम.....वांदसिंहपुर..... जमाबंदी सम्बन्ध..... के खाता संख्या.....55..... में दर्ज.....रुणजीत.....

..... के स्थान पर.....रुणजीत..... दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार.....डूनी..... को मालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल वहाद हो।

निर्णय खुले सारे इजलास, कैम्प.....वांदसिंहपुर..... में सुनाया गया।

अधी
उपखण्ड अधिकारी
देवली